

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 01.04.2024

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महली पुलिस द्वारा* 151 / 107 / 116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 141 वाहनों से 1,61,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 01.04.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 141 वाहनों से 1,61,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 01.04.2024

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 अदद अवैध कट्टा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री शशि शेखर सिंह* के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री ब्रजेश सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे आपरेशन तमंचा अभियान के अन्तर्गत अवैध शस्त्र रखने के अनुक्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा *श्री पंकज कुमार पाण्डेय* के नेतृत्व में पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण / चेकिंग के दौरान 01 अदद अवैध कट्टा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ 01 अभियुक्त नाम पता अल्लमश पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी बढयामाफी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को अमिलहवा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

अल्लमश पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी बढयामाफी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण-

01 अदद अवैध कट्टा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0- 158/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल –

उ0नि0 श्री नन्दू गौतम, का0 अनिल यादव।

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 01.04.2024

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अपराध एव अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए थाना क्षेत्र के 04 नफर हिस्ट्रीशीटरो अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में किया गया चालान

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर*** के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 01.04.2024 को थाना मेहदावल पुलिस द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत अपराध एव अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए थाना क्षेत्र के 04 नफर हिस्ट्रीशीटरो 1. दिलीप कुमार पुत्र स्व० सुदामा निवासी सिक्टैरमाफी थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर 2. अशोक सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह निवासी ढोढ थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर 3. विनोद पाण्डेय पुत्र गूदूम निवासी ग्राम घूरापाली थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर 4. विनेश साहनी पुत्र रुपई साहनी निवासी ग्राम ठाठर थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को शांति भंग की संभावना के दृष्टिगत अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर न्यायालय उपजिलामजिस्ट्रेट मेहदावल रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ०नि० जितेन्द्र कुमार सिंह , उ०नि० ददन राय , का० प्रदीप कुमार राजभर

जनपद – संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 01.04.2024

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 625 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व क्रय / विक्रय की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मेहदावल ***श्री रामकृष्ण मिश्र*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व गश्त के दौरान पौधशाला राजवारी मोड़ के पास से अभियुक्त नाम पता प्रभू केवट पुत्र श्रीराम केवट साकिन हरदीहड़ा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को 625 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- प्रभू केवट पुत्र श्रीराम केवट साकिन हरदीहड़ा थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर ।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०स० 74/2024 धारा 8/20 NDPS ACT थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर

बरामदगी- 625 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- उ०नि० सत्येन्द्र यादव , हे०का० अमित सिंह , हे०का० पप्पू सिंह , का० अनूप कुमार , का० भूपेन्द्र प्रताप सिंह ।